

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जून 2014—ज्येष्ठ 14, शक 1936

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मई 2014

क्र. एफ-23-3-2012-उन्नीस-सा.—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 3 के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारिणी में यथाविनिर्दिष्ट मार्ग को मध्यप्रदेश में मुख्य जिला मार्ग के रूप में घोषित तथा वर्गीकृत करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	जिले का नाम	मुख्य जिला मार्ग	जिला मार्ग क्रमांक	लम्बाई (कि.मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धार	निसरपुर पडियाल अली डही मार्ग (मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 23).	23	36.80
2	धार	सेमदा-कानवन-बिडवान-शेरगढ-बरमण्डल लावरिया मार्ग (मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 24).	24	44.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2014

क्र. एफ-23-3-2012-उन्नीस-सा.—भारत के संविधान में अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-3-2012-उन्नीस-सा, दिनांक 15 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2014

No. F- 23-3-2012-XIX-G.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), the State Government hereby declare and classify the road specified in the table given below as Major District Road in Madhya Pradesh, nemely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Detail of MDR	No. of MDR	Length in K.M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dhar	Nisarpur Padiyaal Ali Dahi Road (MDR No. 23).	23	36.80 Km.
2	Dhar	Semda-Kanvan-Bidwan-Shergarh Barmandal Lawariya Road (MDR No. 24).	24	44.00 Km.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.